

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश घाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 4/2021
जीसीएमएस नं. 2021/5

दायर दिनांक 11.02.2021
निर्णय दिनांक 13.08.2025

1. श्री कालुराम पिता दिपाजी मीणा निवासी नलवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री बसु पिता हिराजी मीणा निवासी नलवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
3. श्री राजेन्द्र पिता जगन्नाथ मीणा निवासी नलवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

— अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री अर्जुन पिता कचरा डामोर निवासी नलवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति रूपणी पत्नी अर्जुन डामोर निवासी नलवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

— रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970


- उपस्थित — 1. श्री दिनेश चन्द्र चौबीसा — अपीलाण्ट अभिभाषक
2. श्री शैलेश भण्डारी — रेस्पोडेण्ट अभिभाषक

—:निर्णय:—

दिनांक — 13.08.2025

1. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण मौजा नालवाडा के स्थायी निवासी है। ग्राम नालवाडा में प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा संख्या 372 एवं अन्तः भूमि स्थित है। जिसके पडौस में खसरा संख्या 309 की भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का रकबा दो बीघा भूमि पर कब्जा काश्त करीब साठ वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर बेरोकटोक अभी तक बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 309 रकबा दो बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या एक व दो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यह भूमि पर विपक्षी संख्या एक व दो की काश्त की भूमि से काफी दूरी पर है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 309 की भूमि में से रकबा एक बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.06.2002 को उपखण्ड अधिकारी महोदय सागवाडा के द्वारा किया गया है। जबकि इस खसरा संख्या 309 रकबा दो बीघा भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा मेहनत मजदूरी कर तथा आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है और इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे हैं तथा उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण ही कर रहे हैं।

आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन के नियमों की अनदेखी कर, बिना किसी प्रकार की जांच पडताल किये विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि आवंटन की गई, उस दिनांक को विपक्षीगण आवंटन के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन कराने का पात्र व्यक्ति नहीं था। क्योंकि आवंटन की दिनांक को श्री अर्जुन स्वयं ग्राम पंचायत काहेला का सदस्य था। आवेदन पत्र पर विपक्षी संख्या 1



दिनेश घाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

Page 1 of 5

ने आवेदन के रूप में हस्ताक्षर किये हैं तथा साथ ही उपसरपंच की पदीय हैसियत से मोहर लगाकर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। विपक्षीगण ने अपने पदीय हैसियत के प्रभाव से पटवारी से मिलकर पडयंत्र कर वास्तविक तथ्यों को छुपा कर रिपोर्ट कराई गई है। इस प्रकार पटवारी से मिलकर पडयंत्र कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रिपोर्ट कराई गई है। पटवारी के द्वारा मौके पर वास्तविक जांच किये बिना गलत तथ्यों को अंकित किया गया है। आज भी प्रार्थीगण का निरंतर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने के नियम 14(4) की पालना नहीं की गई। अलॉटमेंट करने से पूर्व आम नागरिकों की आपत्ति होने की सूचना नहीं मांगी गई इस कारण प्रार्थीगण को इसकी जानकारी नहीं हुई और यदि आपत्तियां मांगी गई होती तो प्रार्थीगण अपनी आपत्तियां भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करते। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा नियम 13(4) की पालना नहीं की गई है और बैठक समाप्त होने के पूर्व की गई कार्यवाई का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। और आवंटन आदेश के साथ में नक्षा ट्रेश की प्रतिलिपि भी साथ में प्रदान नहीं की गई है इस प्रकार नियम 15(2) की पालना भी नहीं की गई है


रेस्पोजेण्ट द्वारा आवंटन करने की पश्चात प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त की जाने के संबंध में नियम की पालना नहीं की गई है। अतः रेस्पोजेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 615 /309 रकबा एक बीघा भूमि का किया गया आवंटन आदेश पत्रावली संख्या -/2002 फैसल दिनांक 26.06.2002 को निरस्त करना फरमावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट की तलवी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेश भण्डारी द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. अपीलान्ट द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र का रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया। जवाब का सक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम नालवाडा के निवासी हैं। प्रार्थीगण का भी ग्राम नालवाडा के खसरा न0 309 पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण का भी खसरा न0 309 के किराी भी हिरसे पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि खसरा न0 309 भूमि में से 1 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन नियमों के तहत आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नियमानुसार काश्त करने से आवंटन के शर्तों की पूर्ण पालना करने से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हो गये है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षीगण आवंटन के पात्र होने से आवंटन नियमों के तहत खसरा न0 309 में से रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया तथा विपक्षीगण को आवंटित भूमि को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया तथा नियमानुसार भूमि आवंटन के पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के शर्तों की पालना की गई जिससे विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये है।

आवंटित भूमि जिसका नया न0 615/309 रकबा 0.1618 है0 बना। विपक्षी संख्या 1 जो आवंटन कमेटी का कभी भी सदस्य नहीं रहा है। ना ही विपक्षी संख्या 1 अर्जुन ग्राम पंचायत काहेला सरपंच रहा है। ग्राम पंचायत के मेम्बर उपसरपंच का आवंटन कमेटी की कार्य प्रणाली एवं शक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ना ही उपसरपंच /मेम्बर का आवंटन कमेटी के कार्यो में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हस्तक्षेप होता है। तथा कानून में ऐसी कोई बाध्यता या रूकावट नहीं है, जिससे की रेस्पोजेण्ट को आवंटन हेतु निर्योग्य ठहराया जावे। आवंटन के पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के नियमों की अक्षरक्षः पालना करने के उपरान्त ही विपक्षीगण को नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्रदान किये गये है। तथा विपक्षीगण को आवंटन हुए करीब 18 वर्ष का समय हो गया है। आवंटन नियमों के अनुसार जब आवंटनी को एक बार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाते है तो



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, झुंजरपुर

कानूनन ऐसा आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो निरस्त काबिल है।

अतः प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नालवाडा में प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा संख्या 372 एवं अन्य भूमि स्थित है, जिसके पडौस में खसरा संख्या 309 की भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का रकबा दो बीघा भूमि पर कब्जा काश्त करीब साठ वर्ष से निरन्तर है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 309 रकबा दो बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या एक व दो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 309 की भूमि में से रकबा एक बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.06.2002 को उपखण्ड अधिकारी महोदय सागवाडा के द्वारा किया गया है। जबकि इस खसरा संख्या 309 रकबा दो बीघा भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा मेहनत मजदूरी कर तथा आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है और इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे हैं।

आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन के नियमों की अनदेखी कर, बिना किसी प्रकार की जांच पडताल किये विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि आवंटन की गई, उस दिनांक को विपक्षीगण आवंटन के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन कराने का पात्र व्यक्ति नहीं था, क्योंकि आवंटन की दिनांक को श्री अर्जुन स्वयं ग्राम पंचायत काहेला का सदस्य था। आवेदन पत्र पर विपक्षी संख्या 1 ने आवेदन के रूप में हस्ताक्षर किये हैं तथा साथ ही उपसरपंच की पदीय हैसियत से मोहर लगाकर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। विपक्षीगण ने अपने पदीय हैसियत के प्रभाव से पटवारी से मिलकर षड्यंत्र कर वास्तविक तथ्यों को छुपा कर रिपोर्ट कराई गई है। पटवारी के द्वारा मौके पर वास्तविक जांच किये बिना गलत तथ्यों को अंकित किया गया है। आज भी प्रार्थीगण का निरंतर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन करने की पश्चात प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त की जाने के संबंध में नियम की पालना नहीं की गई है। अतः रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का भी ग्राम नालवाडा के खसरा न0 309 पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा न0 309 भूमि में से 1 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन नियमों के तहत आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नियमानुसार काश्त करने से आवंटन के शर्तों की पूर्ण पालना करने से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं। विपक्षीगण आवंटन के पात्र होने से आवंटन नियमों के तहत खसरा न0 309 में से रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया तथा विपक्षीगण को आवंटित भूमि को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया तथा नियमानुसार भूमि आवंटन के पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के शर्तों की पालना की गई जिससे विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

आवंटित भूमि जिसका नया न0 615/309 रकबा 0.1618 है0 बना। विपक्षी संख्या 1 जो आवंटन कमेटी का कभी भी सदस्य नहीं रहा है। ना ही विपक्षी संख्या 1 अर्जुन ग्राम पंचायत काहेला सरपंच रहा है। ग्राम पंचायत के मेम्बर उपसरपंच का आवंटन कमेटी की कार्य प्रणाली एवं शक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ना ही उपसरपंच /मेम्बर का आवंटन कमेटी के कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हस्तक्षेप होता है। तथा कानून में ऐसी कोई बाध्यता या रूकावट नहीं है, जिससे की रेस्पोडेण्ट को आवंटन हेतु निर्योग्य ठहराया जावे।

आवंटन के पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के नियमों की अक्षरक्ष: पालना करने के उपरान्त ही विपक्षीगण को नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्रदान किये गये हैं। विपक्षीगण को आवंटन हुए करीब 18 वर्ष का समय हो गया है। आवंटन नियमों के अनुसार जब आवंटी को एक बार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाते हैं तो कानूनन ऐसा आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो निरस्त काविल है।

अतः प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण दर्शित किए हैं वह संतोषजनक, पर्याप्त प्रतीत होते हैं। अपीलाण्ट द्वारा जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाना हम न्यायहित में उचित समझते हैं। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना हो तो ऐसे प्रकरणों में मियाद के बिंदु पर नरमी का रुख अपनाते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन करने पर जाहिर आया कि आवंटी अर्जुन पिता कचरा डामोर, रूपणी पत्नि अर्जुन डामोर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2002 को खसरा नम्बर 309 में से रकबा 1 बीघा का आवंटन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोजेण्ट खसरा नम्बर 615/309 रकबा 0.1618 है० में आवंटी खातेदार दर्ज है। इस प्रकार आवंटी को आवंटन पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हुए है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काशत नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। आवंटी के आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काशत साबित होता है और आवंटी द्वारा आवंटन गलत रूप से कराया जाना साबित होता हो।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरुद्ध किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन तथ्य छिपा कर आवंटन कराया जाना साबित होता हो। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर Page 4 of 5

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-श्री दिनेश धाकड़ (आर.ए.एस.)

मु.नं. -4/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970

उनवान- कालुराम बनाम अर्जुन

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश क्रमांक 2001/2096-2098 दिनांक 26.02.2002 को मौजा नालवाडा के खसरा नम्बर 309 रकबा 0.1618 हैक्टेयर (नया न. 615/309) भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 और 2 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.08.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(दिनेश धाकड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर